

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला-भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी:- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 74/2020 राजस्व वाद

अनवान प्रकरण

श्री अमरसिंह आत्मज श्री गुलाबसिंह भण्डारी आयु वयस्क निवासी -79 कांचीपुरम बी.एस.
एल.रोड़, गांधीनगर, भीलवाड़ा।
---वादी।

बनाम

- 1-गोर्वधननाथ पुत्र श्री सुवानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 2-डाऊनाथ पुत्र नाथूनाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 3-भालूनाथ पुत्र नाथूनाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 4-सुखा नाथ पुत्र मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 5-माधूनाथ पुत्र मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 6-शंभूनाथ पुत्र मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 7-छाऊ पिता मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 8-श्रीमति धापू पत्नि स्व. मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 9-लाडू पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 10-गोपी पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 11-सावन्ता पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 12-बाघा पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 13-राज0राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाड़ा।
- 14-बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा जरिये
शाखा प्रबंधक।
---प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज.का.अधि.बाबत विभाजन आराजियात


उपस्थित:-

- | | | |
|------------------------|---|------------------------------|
| 1- श्री मुकेश जैन | - | अधिवक्ता-वादी। |
| 2- उपस्थित प्रतिवादी | - | प्रतिवादी सं.1 से 6, 9 से 11 |
| 3- एक पक्षीय कार्यवाही | - | प्रतिवादी सं. 7, 8, 12 से 14 |

:: निर्णय ::

दिनांक 11/11/2020

तहसीलदार करेडा से प्रारंभिक डिक्री अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
प्रकरण में वादी वकील विभाजन प्रस्ताव पर सहमत है। प्रतिवादी सं. 1 से 6, 9 से 11
स्वयं उपस्थित जिन्होंने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। प्रतिवादी सं. 7, 8, 12 से
14 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया गया। ग्राम


उपखण्ड अधिकारी
करेडा (भीलवाड़ा)

बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

- (1) खातेदार का नाम—श्री अमरसिंह पिता गुलाबसिंह भण्डारी महाजन सा.—79 कांचीपुरम बी.एस.एल.रोड़,गांधीनगर,भीलवाड़ा खातेदार।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	543	0.10 बीघा	—	—

- (2) खातेदार का नाम—श्री डाऊनाथ, भालूनाथ, सुखानाथ, शंभूनाथ, छाऊ पिता मेघा, धापू पत्नि स्व0 मेघा 1/6, लाडू, गोपी, सावन्ता, बाघा पिता मोडानाथ 2/3, गोर्वधननाथ पिता सुवानाथ 1/6, रावल सा0 देह खातेदार। रहन बी.आर.जी.बी. शाखा चिताम्बा हिस्सा सुखानाथ व गोपीनाथ का।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	543	0.15 बीघा	—	—

- (3) शेष आराजियात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी में रहेगी।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	279	1.00 बीघा	—	—
2	280	0.02 बीघा	—	—
3	281	3.03 बीघा	—	—
4	296	0.06 बीघा	—	—
5	297	1.01 बीघा	—	—
6	537	0.09 बीघा	—	—
7	538	0.16 बीघा	—	—
8	539	0.16 बीघा	—	—
9	546/2	2.10 बीघा	—	—
10	558	0.04 बीघा	—	—
11	559	2.01 बीघा	—	—
12	560	0.13 बीघा	—	—
13	561	0.15 बीघा	—	—
14	567	0.08 बीघा	—	—
15	581	2.09 बीघा	—	—
कुल	15	16.13 बीघा		

उक्तानुसार डिक्री जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें। आज यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (कलेक्टर) कलेक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

मुकदमा नम्बर:- 74/2020 राजस्व वाद

अनवान प्रकरण

श्री अमरसिंह आत्मज श्री गुलाबसिंह भण्डारी आयु वयस्क निवासी-79 कांचीपुरम बी.एस. एल.रोड़,गांधीनगर, भीलवाड़ा।
---वादी।

बनाम

- 1-गोर्वधननाथ पुत्र श्री सुवानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 2-डाऊनाथ पुत्र नाथूनाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 3-भालूनाथ पुत्र नाथूनाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 4-सुखा नाथ पुत्र मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 5-माधूनाथ पुत्र मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 6-शंभूनाथ पुत्र मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 7-छाऊ पिता मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 8-श्रीमति धापू पत्नि स्व. मेघानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 9-लाडू पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 10-गोपी पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 11-सावन्ता पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 12-बाघा पुत्र मोड़ानाथ रावल आयु वयस्क निवासी बागजणा तहसील करेडा।
- 13-राज0राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाड़ा।
- 14-बड़ोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चिताम्बा तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक।
---प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज.का.अधि.बाबत विभाजन आराजियात

मुकदमा नम्बर:-74/2020 राजस्व वाद निर्णय दिनांक 11/11/2020.

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी श्री मुकेश कुमार जैन मिनजानिब मुददई व प्रतिवादी सं. 1 से 6, 9 से 11 स्वयं उपस्थित जिन्होने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। प्रतिवादी सं.7,8,12 से 14 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि ग्राम बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेडा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन एवं नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(1) खातेदार का नाम-श्री अमरसिंह पिता गुलाबसिंह भण्डारी महाजन सा.-79 कांचीपुरम बी.एस.एल.रोड़,गांधीनगर,भीलवाड़ा खातेदार।

क्र.स.	आ0न0	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	543	0.10 बीघा	-	-

उपखण्ड अधिकारी
करेडा (भीलवाड़ा)

(2) खातेदार का नाम—श्री डाऊनाथ, भालूनाथ, सुखानाथ, शंभूनाथ, छाऊ पिता मेघा, धापू पत्नि स्व० मेघा 1/6, लाडू, गोपी, सावन्ता, बाघा पिता मोडानाथ 2/3, गोर्वधननाथ पिता सुवानाथ 1/6, रावल सा० देह खातेदार । रहन बी.आर.जी.बी. शाखा चिताम्बा हिस्सा सुखानाथ व गोपीनाथ का ।

क्र.स.	आ०न०	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	543	0.15 बीघा	—	—

(3) शेष आराजियात प्रतिवादी सं. 1 लगायत 12 के संयुक्त खातेदारी में रहेगी।

क्र.स.	आ०न०	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान
1	279	1.00 बीघा	—	—
2	280	0.02 बीघा	—	—
3	281	3.03 बीघा	—	—
4	296	0.06 बीघा	—	—
5	297	1.01 बीघा	—	—
6	537	0.09 बीघा	—	—
7	538	0.16 बीघा	—	—
8	539	0.16 बीघा	—	—
9	546/2	2.10 बीघा	—	—
10	558	0.04 बीघा	—	—
11	559	2.01 बीघा	—	—
12	560	0.13 बीघा	—	—
13	561	0.15 बीघा	—	—
14	567	0.08 बीघा	—	—
15	581	2.09 बीघा	—	—
कुल	15	16.13 बीघा		

आज तारीख 11 /11/2020 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

8

(महीपाल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

करेडा जिला भीलवाड़ा कलक्टर